<u>परिसंपत्ति अधिग्रहण योजना</u>

1. उद्देश्य

अन्य विद्युत संस्था की परिसंपत्तियों को ग्रहण करने वाली विद्युत संस्था को वित्तपोषण प्रदान करना जिससे इनके प्रचालनों में मात्रा और प्रतियोगिताशीलता बढ़ सके, प्रचालन/ व्यवसाय का विस्तार हो सके और वर्तमान तकनीकी और/या प्रणालियां अद्यतित हो सकें। पीएफ़सी गारंटी जैसी गैर-निधि आधारित सहायता भी ऋणकर्ताओं/ परिसंपत्ति ग्रहण करने वाली विद्युत संस्थाओं को देती है।

नीति इक्विटी के अधिग्रहण/ विद्युत संस्था द्वारा ग्रहीत शेयरों और सेबी विनियम, 1997 में यथा परिभाषित बेलआउट का वित्तपोषण नहीं करेगी।

2. पात्र विद्युत संस्थाएं

राज्य/ केंद्रीय क्षेत्र में कैपटिव व्किद्युत उत्पादक सहित विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण गतिविधियों में संलग्न राज्य/ केंद्रीय क्षेत्र में सभी विद्युत संस्थाएं। विद्युत संस्था को पीएफ़सी नीति के अनुसार चूककर्ता घोषित नहीं होना चाहिए।

3. पात्रता मानदंड

जहां पीएफ़सी ने पहले ही विद्युत संस्था का वित्तपोषण किया है जिसकी परिसंपत्तियों का क्रय किया गया है, उक्त विद्युत संस्था को बिक्री होने के साथ ही पीएफ़सी को देयताओं के पुनर्भुगतान के लिए स्वीकृत होना होगा।

4. सहायता

एक वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ रूपए प्रति ऋणकर्ता की अधिकतम राशि तक प्रतिबंधित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के स्वीकृत मूल्य के 70 % तक होगी।

5. ब्याज दर और अन्य प्रभार

- समय-समय पर निगम द्वारा यथा अधिसूचित।
- अवधि ऋण के लिए यथा लागू ब्याज दरें निगम द्वारा उद्ग्रहण की जाएंगी।
- संवितरण के समय प्रचलित ब्याज दरें लागू होंगी।
- कोई कमिटमेंट/ अपफ्रंट फीस देय नहीं है।

- देय के समयानुसार भुगतान हेतु प्रोत्साहन/ रिबेट।

6. मोरेटोरियम और पुनर्भुगतान अवधि

चालू न होने वाली परियोजनाओं के लिए मोरेटोरियम और पुनर्भुगतान अवधि, सावधि ऋणों के लिए यथा लागू होंगी। तथापि, ब्याज भुगतान पर कोई मोरेटोरियम नहीं है। पहले से ही चालू परियोजनाओं के लिए पुनर्भुगतान अवधि परिसंपत्तियों की अवशिष्ट काल, सुरक्षा मार्जिन, पुनर्भुगतान क्षमता आदि के आधार पर निर्धारित होंगी और वह 10 वर्ष से अधिक नहीं होंगी।

7. अपेक्षित प्रतिभूति

त्रिपक्षीय एस्क्रो करार

राज्य/ केंद्रीय सरकार/ बैंक गारंटी या परिसंपत्तियों पर प्रभार

'एएए' रेटित केंद्रीय क्षेत्र ऋणकर्ता के लिए अन्य प्रतिभूति विकल्प माने जाएंगे।

ऋणकर्ताओं को भी अंतरित होने वाली ग्रहीत परिसंपत्तियों की वर्तमान ऋण देयताओं की स्थिति में, पीएफ़सी प्रथम प्रभार पारी-पास्सू आधार पर ले सकते हैं।